एएफआर

Neutral Citation No - 2024: AHC: 128096

<u>न्यायालय कक्ष संख्या - 32</u>

वाद: - रिट - सी संख्या - 11344/2024

याचिकाकर्ता: - मोहम्मद यासिर अली खान

प्रतिवादी: - उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

अधिवक्ता याचिकाकर्ता : - अर्चना सिंह, श्रीप्रकाश सिंह

अधिवक्ता प्रतिवादी : - अरविंद श्रीवास्तव, सीएससी, विक्रांत गुप्ता

<u>माननीय न्यायमूर्ति डॉ. योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव,</u>

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री श्रीप्रकाश सिंह, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री जेएन मौर्य और विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री अभिषेक शुक्ला, और प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद श्रीवास्तव को सुना गया।

2. वर्तमान याचिका मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (संहिता) की धारा 34 के तहत कार्यवाही में प्रतिवादी संख्या 3, नायब तहसीलदार, पनवड़िया, तहसील सदर, रामपुर द्वारा वाद संख्या 35/2023 में पारित दिनांक 13.07.2023 के आदेश और उसके बाद प्रतिवादी संख्या 2, उप-मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील सदर, रामपुर द्वारा वाद संख्या 3689/2023 में पारित दिनांक 04.12.2023 के आदेश, जो संहिता की धारा 35(2) के तहत एक अपील है, को चुनौती देने के लिए दायर की गई है, जिसके द्वारा पूर्व आदेश की पुष्टि की गई है।

3. राज्य प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने रिट याचिका की पोषणीयता के संबंध में यह इंगित करते हुए आपत्ति उठाई है कि संहिता की धारा 35(2) के तहत अपील में पारित आदेश संहिता की धारा 210 के तहत पुनरीक्षण के वैधानिक उपाय के अधीन होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Translated Judgment. Not for Legal Use.

4. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने उपरोक्त आपत्ति का खंडन करने का प्रयास करते हुए तर्क दिया है कि धारा 210 के तहत पुनरीक्षण का उपाय केवल उस स्थिति में उपलब्ध है जहां कोई अपील नहीं होती है, और वर्तमान मामले में चूंकि याचिकाकर्ता धारा 35 की उप-धारा (2) के तहत अपील में पारित आदेश को चुनौती देना चाहता है, इसलिए पुनरीक्षण का उपाय उपलब्ध नहीं होगा।

5. इसलिए वर्तमान वाद में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या संहिता की धारा 35 की उप-धारा (2) के तहत अपील में पारित आदेश संहिता की धारा 210 के तहत पुनरीक्षण के उपाय के अधीन होगा।

6. प्रतिद्वन्द्वी तर्कों को समझने के लिए, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अंतर्गत प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक होगा।

7. संहिता की धारा 33, 34 और 35 के अंतर्गत नामांतरण के संबंध में प्रावधान नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:

> **"33. उत्तराधिकार के मामलों में नामान्तरण** (1) उत्तराधिकार द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस हलके के, जिसमें भूमि स्थित है, राजस्व निरीक्षक को ऐसे उत्तराधिकार के संबंध में यथाविहित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
>
> (2) उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त करने पर या उसके संज्ञान में अन्यथा तथ्य आने पर राजस्व निरीक्षक-
>
> (क) यदि मामला विवादग्रस्त नहीं है तो ऐसे उत्तराधिकार को अधिकार अभिलेख (खतौनी) में अभिलिखित करेगा,
>
> (ख) किसी अन्य मामले में ऐसी जांच करेगा जैसी उसे आवश्यक प्रतीत हो और वह अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा

Translated Judgment. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

(3) कोई व्यक्ति जिसका नाम राजस्व निरीक्षक द्वारा अभिलिखित न किया गया हो या जो उपधारा (2) के खण्ड (क) या (ख) के अधीन राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित किए गए आदेश द्वारा व्यथित हो, वह तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(4) इस धारा के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होंगे जिसे इस संहिता के उपबन्धों या इसके द्वारा निरसित किसी अधिनियमन के अनुसार भूमि प्रबन्धक समिति द्वारा असंक्रमणीय अधिकारयुक्त या असामी स्वीकार किया गया हो।

34. अन्तरण के मामलों में रिपोर्ट करने का कर्तव्य (1) धारा 33 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी अंतरण से भिन्न अन्तरण द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसे अन्तरण की रिपोर्ट उस तहसील के तहसीलदार को विहित रीति से देगा जिसमें भूमि स्थित है।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनार्थ शब्द अन्तरण के अन्तर्गत कोई पारिवारिक बन्दोबस्त भी है।

(2) राज्य सरकार इस अध्याय के अन्तर्गत अधिकार अभिलेख में अन्तरण के आधार पर प्रविष्टि कराने के लिए शुल्क का मानक नियत कर सकती है। ऐसी किसी प्रविष्टि के सम्बन्ध में देय शुल्क का भुगतान उस व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसके पक्ष में प्रविष्टि की जानी है।

35. **अन्तरण के मामलों में नामान्तरण** (1) धारा 33 या धारा 34 के अधीन किसी रिपोर्ट या तथ्य की जानकारी प्राप्त होने पर तहसीलदार एक उद्घोषणा जारी करेगा और ऐसी जांच करेगा जैसी आवश्यक प्रतीत हो, और-

(क) यदि मामला विवादित नहीं है तो वह अधिकार अभिलेख (खत्तौनी) को तदनुसार संशोधित करने का निर्देश देगा;

(ख) [***]

(ग) यदि मामला विवादित है तो वह विवाद का निपटारा करेगा और अधिकार अभिलेख (खतौनी) को तदनुसार, यदि आवश्यक हो, संशोधित करने का निदेश देगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Translated Judgment. Not for Legal Use.

(2) उपधारा (1) के अधीन तहसीलदार के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उप जिलाधिकारी को अपील कर सकता है।

8. किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा विनिश्चित किसी वाद या कार्यवाही के संबंध में राजस्व बोर्ड (बोर्ड) या आयुक्त को अभिलेख मंगाने की शक्ति संहिता की धारा 210 के अंतर्गत प्रदान की गई है। संहिता की धारा 210, जैसा कि मूलतः थी, इस प्रकार है:-

"210 **अभिलेख मंगाने की शक्ति** (1) परिषद् या आयुक्त किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णीत किसी वाद या कार्यवाही का, जिसमें कोई अपील नहीं हुयी, ऐसे वाद या कार्यवाही में पारित किसी आदेश की वैधता या औचित्य के प्रति अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए, अभिलेख मंगा सकता है और यदि यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय नेः-

(क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है. या

(ख) इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया है, या

(ग) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग अविधित किया है या तात्विक अनियमितता के साथ किया है।

तो यथास्थिति परिषद या आयुक्त ऐसे आदेश पारित कर सकता है जिसे वह ठीक समझे।

(2) यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन कोई प्रार्थना पत्र या तो परिषद या आयुक्त को दिया गया है तो उसी व्यक्ति द्वारा अग्रेतर किसी प्रार्थना पत्र को उनमें से दूसरे द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण शंका के निवारण के लिए एतदद्वारा यह घोषित किया जाता है कि, जब इस धारा के अधीन कोई प्रार्थना पत्र या तो परिषद या तो आयुक्त के समक्ष दे दिया गया है तो उस प्रार्थना पत्र को, उनमें से दूसरे के समक्ष उसी आदेश के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दाखिल करने के प्रयोजनार्थ, वापस लेने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

(3) इस धारा के अधीन किसी प्रार्थना पत्र पर, पुनरीक्षित कराये जाने वाले आदेश के दिनांक से या इस संहिता के प्रारंभ के दिनांक से जो भी बाद में हो, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार नहीं किया जायेगा।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

9. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2016 [यूपी अधिनियम संख्या 4 / 2016] के अनुसार संशोधित किया गया था। 2016 के संशोधन अधिनियम में धारा 210 में किया गया संशोधन इस प्रकार था:-

> "**162. धारा 210 का संशोधन** – उक्त संहिता की धारा 210 में-
>
> (क) अंक और शब्द "210. बोर्ड" के स्थान पर अंक, कोष्ठक और शब्द "210. (1) बोर्ड" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
>
> (ख) उपधारा (1) में, शब्द और विराम चिह्न "या जहां कोई अपील होती है, किन्तु प्रस्तुत नहीं की गई है," लुप्त कर दिए जाएंगे;
>
> (ग) उपधारा (2) के पश्चात् तथा उपधारा (3) के पूर्व निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्
>
> स्पष्टीकरण– शंका के निवारण के लिए यह घोषित किया जाता है कि जब इस धारा के अधीन कोई आवेदन बोर्ड या आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, तो उसी आदेश के विरुद्ध आवेदन को उनमें से किसी अन्य के समक्ष प्रस्तुत करने के प्रयोजनार्थ आवेदन को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
>
> (घ) उपधारा (3) में, शब्द "तीस दिन" के स्थान पर शब्द "साठ दिन" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

10. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2019 [उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2019] के अनुसार किए गए और संशोधनों के अधीन था, जो 10 मार्च, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा गया।

11. धारा 210 की भाषा के हिन्दी संस्करण में कुछ असंगतता थी, जैसे उपधारा (1) में प्रयुक्त शब्द "कोई अपील नहीं हुई" जबकि अंग्रेजी संस्करण में प्रयुक्त शब्द "जिसमें कोई अपील नहीं होती है" थे। मूल अधिनियम की धारा 210 के हिंदी संस्करण में निम्नलिखित प्रावधान करके उपयुक्त संशोधन करके उपरोक्त असंगतता को दूर किया गया:-

> "19. मूल अधिनियम की धारा 210 में, हिंदी संस्करण में, उपधारा (1) में "कोई अपील नहीं हुई" शब्दों के स्थान पर शब्द "कोई अपील नहीं हो सकती" प्रतिस्थापित किया जाएगा।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Translated Judgment: Not for Legal Use

12. धारा 210, उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या VII /2019 की शर्तों के अनुसार किए गए संशोधन के परिणामस्वरूप, निम्नानुसार है:

"210 **अभिलेख मांगने की शक्ति** - (1) बोर्ड या आयुक्त किसी भी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा तय किए गए किसी भी मुकदमे या कार्यवाही के अभिलेख के लिए कह सकते हैं, जिसमें कोई अपील नहीं होती है, ऐसे मुकदमे या कार्यवाही में पारित किसी भी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से, और यदि ऐसा अधीनस्थ न्यायालय प्रतीत होता है कि -

(ए) कानून द्वारा उसमें निहित नहीं किए गए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है; या

(बी) इस प्रकार निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा है; या

(सी) ऐसे अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अवैध रूप से या सामग्री अनियमितता के साथ काम किया है;

बोर्ड, या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, मामले में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह ठीक समझे।

(2) यदि इस धारा के अधीन कोई आवेदन किसी व्यक्ति द्वारा बोर्ड या आयुक्त को प्रस्तुत किया गया है तो उसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई और आवेदन उनमें से किसी अन्य द्वारा ग्रहण नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.- संदेह को दूर करने के लिए, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि जब इस धारा के तहत कोई आवेदन बोर्ड या आयुक्त को भेजा गया है, तो आवेदन को उसी आदेश के खिलाफ उनमें से दूसरे को आवेदन दायर करने के प्रयोजन के लिए वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) इस धारा के तहत कोई भी आवेदन उस आदेश की तारीख से साठ दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद या इस संहिता के प्रारंभ होने की तारीख से, जो भी बाद में हो, पर विचार नहीं किया जाएगा।

13. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा संबंधित प्रश्न के संबंध में उठाया गया मुख्य तर्क यह है कि संहिता की धारा 210 के तहत पुनरीक्षण का उपाय केवल उस मामले में उपलब्ध है जिसमें कोई अपील नहीं होती है, और इसलिए चूंकि धारा 35 की उप-धारा (2) उप-धारा (1) के तहत पारित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

उत्परिवर्तन के आदेश के खिलाफ अपील का प्रावधान करती है, इसलिए संहिता की धारा 210 के तहत इसके खिलाफ पुनरीक्षण का कोई और उपाय उपलब्ध नहीं होगा। इस प्रकार यह आग्रह किया जाता है कि धारा के तहत अपील में पारित आदेश धारा 35(2) का निर्णय अंतिम होगा तथा उक्त आदेश के विरुद्ध कोई वैधानिक उपाय उपलब्ध नहीं होगा।

14. उपर्युक्त प्रस्तुतिकरण का विरोध करते हुए, राज्य प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि धारा 210 के तहत निहित प्रतिबंध केवल उस मामले में पुनरीक्षण के उपाय का प्रावधान करता है 'जिसमें कोई अपील नहीं होती है', आकर्षित नहीं होगा क्योंकि विचाराधीन प्रश्न धारा 35 की उपधारा (2) के तहत अपील में पारित आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण के उपाय की उपलब्धता के संबंध में है, जिसके विरुद्ध कोई और अपील नहीं होती है। इस तर्क का समर्थन करने के लिए, **झिंका देवी बनाम यूपी राज्य और 4 अन्य 2022 (7) ए डी जे 31** में इस न्यायालय के वर्तमान निर्णय पर निर्भरता व्यक्त किया है।

15. न्यायालय का ध्यान उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की तीसरी अनुसूची की ओर आकर्षित किया गया है, यह इंगित करने के लिए कि धारा 35 के तहत नामांतरण मामलों से संबंधित कार्यवाही के संबंध में, प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले तहसीलदार का आदेश उप-मंडल अधिकारी के समक्ष अपील के अधीन है इसलिए यह तर्क दिया गया है कि चूंकि धारा 35 की उपधारा (2) के तहत उप-विभागीय अधिकारी के अपीलीय आदेश के खिलाफ कोई और अपील नहीं है, इसलिए धारा 210 के तहत वैधानिक पुनरीक्षण का उपाय वर्जित नहीं होगा।

16. प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने भी इसी तरह की तर्क दी हैं।

17. अब प्रतिद्वंद्वी तर्क विचार के लिए आती हैं।

18. धारा 210, जैसा कि यह यूपी अधिनियम संख्या 4, 2016 द्वारा लाए गए संशोधन के बाद है, बोर्ड या आयुक्त को किसी भी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा तय किए गए किसी भी मुकदमे या कार्यवाही के अभिलेख की मांग करने का अधिकार प्रदान करती है, जिसमें कोई अपील नहीं होती है, ऐसे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Translated Judgment: Not for Legal Use

मुकदमे या कार्यवाही में पारित किसी भी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से।

19. बोर्ड या आयुक्त मामले में ऐसा आदेश पारित कर सकते हैं जैसा वे उचित समझें, यदि अधीनस्थ न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि -

(क) उसने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो कानून द्वारा उसमें निहित नहीं है; या

(ख) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है; या

(ग) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ किया है।

20. इसलिए यह देखा जाएगा कि धारा 210 के तहत बोर्ड या आयुक्त निम्नलिखित शर्तों के तहत किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा तय किए गए किसी भी वाद या कार्यवाही के अभिलेख को मांगने की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं: -

(i) जहां कोई अपील नहीं होती है; और

(ii) ऐसा प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने -

(क) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो कानून द्वारा उसमें निहित नहीं है; या

(ख) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहा है; या

(ग) ऐसी अधिकारिता का प्रयोग अवैध रूप से या भौतिक अनियमितता के साथ किया है।

बोर्ड या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, उसके बाद मामले में ऐसा आदेश पारित कर सकते हैं जैसा वे उचित समझें।

21. उपर्युक्त प्रावधानों के सामान्य अवलोकन से यह तर्क सामने आ सकता है कि धारा 210 के तहत पुनरीक्षण का उपाय केवल उस मामले में उपलब्ध है जहां कोई अपील नहीं होती है, धारा 35 की उपधारा (2) के तहत उप-विभागीय मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश संहिता की धारा 210 के तहत पुनरीक्षणीय नहीं होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Translated Judgment. Not for Legal Use.

22. उप-धारा (2) के तहत उप-विभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के संबंध में पूर्वोक्त तर्क के साथ-साथ नामांतरण कार्यवाही के संबंध में एक अंतिमता जुड़ी हुई है, धारा 210 के तहत प्रावधानों और यूपी राजस्व संहिता, 2006 की समग्र योजना के संदर्भ में जांच की जानी आवश्यक होगी।

23. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के तहत, 'राजस्व न्यायालय' अभिव्यक्ति को धारा 4 (16) के तहत परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ निम्नलिखित सभी या कोई भी प्राधिकारी, अर्थात्, बोर्ड और उसके सभी सदस्य, आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, सहायक कलेक्टर, बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, रिकॉर्ड अधिकारी, सहायक रिकॉर्ड अधिकारी, तहसीलदार और नायब-तहसीलदार है।

24. संहिता की धारा 4(17) के तहत "राजस्व अधिकारी" शब्द को आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर, उप-मंडल अधिकारी और सहायक कलेक्टर, बंदोबस्त अधिकारी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, रिकॉर्ड अधिकारी, सहायक रिकॉर्ड अधिकारी, तहसीलदार, तहसीलदार (न्यायिक), नायब तहसीलदार या राजस्व निरीक्षक के रूप में परिभाषित किया गया है।

25. उपर्युक्त शब्दों "राजस्व न्यायालय" और "राजस्व अधिकारी" की परिभाषाओं का संयुक्त वाचन यह दर्शाता है कि कुछ व्यक्ति जो राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य करते हैं, वे राजस्व अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं - जहाँ एक राजस्व अधिकारी राजस्व से संबंधित न्यायिक मामलों को देखता है, वह एक राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य करता है, जो राजस्व परिषद के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में होता है; दूसरी ओर, जहाँ एक राजस्व अधिकारी राजस्व से संबंधित गैर-न्यायिक मामलों को देखता है, वह राज्य सरकार के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में कार्य करता है। भू-राजस्व प्रशासन से संबंधित राजस्व अधिकारी के कार्यों को उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रकृति के आधार पर न्यायिक और गैर-न्यायिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

26. उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (अब निरस्त) की धारा 234 (1) (v) राज्य सरकार को उन मामलों या कार्यवाहियों को परिभाषित करने का अधिकार देती है जिन्हें न्यायिक या गैर-न्यायिक माना जाता है। पूर्वोक्त प्रावधान के अनुसार, राजस्व नियमावली के पैरा 911 में कुछ मामलों को न्यायिक माने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

जाने का प्रावधान है। इसमें उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 35 और 40 के अंतर्गत उत्तराधिकार या हस्तांतरण से संबंधित मामलों में नामांतरण से संबंधित मामले सम्मिलित थे।

27. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 7 के अधीन गठित राजस्व परिषद, उसकी धारा 8 के अनुसार, मुकदमों के निस्तारण, अपीलों या पुनरीक्षण से संबंधित सभी मामलों में मुख्य नियंत्रण प्राधिकारी होगी। संहिता की धारा 210 के अंतर्गत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है और उसके अनुसार, परिषद या आयुक्त, जैसा भी मामला हो, किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णीत किसी वाद या कार्यवाही का अभिलेख मंगाकर पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए सशक्त होगा, जिसमें कोई अपील नहीं होती है, ताकि ऐसे वाद या कार्यवाही में पारित किसी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में स्वयं को संतुष्ट किया जा सके, यदि धारा की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्धारित शर्तें पूरी हों। इस धारा की भाषा व्यापक है और इसके अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णीत सभी वाद सम्मिलित हैं।

28. धारा 210, जिसके तहत बोर्ड या आयुक्त को किसी "अधीनस्थ राजस्व न्यायालय" द्वारा "निर्णीत" किसी वाद या कार्यवाही के अभिलेखों को मांगने का अधिकार है, विधायी मंशा को इंगित करता है कि वादों और कार्यवाहियों के न्यायिक निर्णयों के खिलाफ पुनरीक्षण किया जाएगा; उन्हीं अधिकारियों द्वारा संचालित प्रशासनिक कार्यवाहियां धारा 210 के दायरे में नहीं आती हैं।

29. उत्तराधिकार या अंतरण के आधार पर नामांतरण के मामलों में, यदि मामला विवादित है, तो धारा 35 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाले तहसीलदार को धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (सी) के अनुसार 'विवाद का फैसला' करने का अधिकार है, और धारा 35 की उप-धारा (1) के तहत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश उप-धारा (2) के तहत उप-मंडल अधिकारी के समक्ष अपील के अधीन है। धारा 35 की उपधारा (1) और उप-धारा (2) के अधीन निहित उपबंधों से इस बात में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि तहसीलदार और उप-मंडल अधिकारी भी, जो इसके अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, न्यायिक कृत्यों का निर्वहन करते हैं।

30. उत्तराधिकार या अंतरण के मामलों में नामांतरण संबंधी विवाद का निपटारा करते समय, तहसीलदार, संहिता की धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संहिता की

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

धारा 4(16) के अर्थ में 'राजस्व न्यायालय' के रूप में कार्य करता है। उप-धारा (1) के अधीन तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध उप-धारा (5) के अधीन अपील का निपटारा करते समय, उप-मंडल अधिकारी भी 'राजस्व न्यायालय' के रूप में कार्य करता है और इस प्रकार वह आयुक्त के अधीनस्थ न्यायालय होगा और उसके पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

31. धारा 210 के अंतर्गत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार को, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, केवल एक शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक कर्तव्य के रूप में भी देखा जाना चाहिए, जिसका प्रभावी निर्वहन तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि बोर्ड या आयुक्त यह सुनिश्चित न कर लें कि अधीनस्थ राजस्व न्यायालय विधि के अनुसार अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करें। केवल इस तथ्य से कि धारा 35 की उपधारा (2) के अंतर्गत अपील में उप-विभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कोई और अपील नहीं है, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि विधानमंडल का किसी भी प्रकार से संहिता की धारा 210 के अंतर्गत आयुक्त को प्रदत्त पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार को सीमित या नियंत्रित करने का आशय था।

32. धारा 210 अनिवार्य रूप से राजस्व बोर्ड या आयुक्त के लिए अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों के पर्यवेक्षण हेतु शक्ति का एक स्रोत है। अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को संशोधित करने हेतु धारा 210 के अंतर्गत प्रदत्त क्षेत्राधिकार मामले के किसी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर निर्भर नहीं होगा, क्योंकि यह धारा ऐसे किसी भी प्रस्ताव के प्रस्तुत किए जाने से स्वतंत्र पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 210 के तहत पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार बोर्ड या आयुक्त को रिकॉर्ड मांगने और कुछ शर्तों के अधीन कार्यवाही की शुद्धता की निगरानी करने के लिए एक व्यापक शक्ति प्रदान करने के लिए बनाया गया है।

33. धारा 35 की उपधारा (2) के तहत शक्तियों के प्रयोग में पारित उप-मंडल अधिकारी का आदेश धारा 35 की उपधारा (1) के तहत पारित तहसीलदार के आदेश के खिलाफ अपील का आदेश है, और यह आदेश संहिता के तहत किसी भी दूसरी अपील के अधीन नहीं है। यह संहिता की तीसरी अनुसूची को पढ़ने से और स्पष्ट है जिसमें नामांतरण मामलों से संबंधित धारा 35 के तहत निहित प्रावधानों के संबंध में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की अदालत को कॉलम 3 में तहसीलदार की अदालत के रूप में निर्दिष्ट किया गया है और प्रथम अपील की अदालत को कॉलम 4 में उप-मंडल अधिकारी की अदालत के रूप में उल्लिखित किया गया है; दूसरी अपील से संबंधित कॉलम 5 को खाली छोड़ दिया गया है। इससे यह पता चलता है

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

Translated Judgment: Not for Legal Use.

कि धारा 35 की उपधारा (2) के तहत अपील में उप-मंडल अधिकारी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ, धारा 35 की उप-धारा (2) के तहत प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र के न्यायालय के रूप में कार्य करने वाले तहसीलदार के आदेश के खिलाफ, द्वितीय अपील का कोई प्रावधान नहीं है।

34. धारा 35 की उप-धारा (2) के तहत पारित उप-मंडल अधिकारी के आदेश के खिलाफ दूसरी अपील के लिए संहिता के तहत कोई प्रावधान नहीं होने के कारण, यह कहा जा सकता है कि अपील में उप-मंडल अधिकारी के आदेश के खिलाफ, कोई और अपील नहीं है, और इसलिए धारा 35 की उप-धारा (2) के तहत अपील में उप-मंडल अधिकारी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अभिलेख को मांगने और पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करने के लिए धारा 210 के तहत आयुक्त की शक्तियों को लागू करने के लिए आवश्यक शर्त पूरी हो गई है।

35. इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाते हुए, इस न्यायालय ने **झिंका देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य 2022(7) ए डी जे 31** में यह निर्णय दिया था कि राजस्व संहिता की धारा 24(4) के अंतर्गत अपील में पारित आदेश धारा 210 के अंतर्गत पुनरीक्षणीय होगा, और उक्त आदेश की अंतिमता केवल इस सीमा तक होगी कि उसके विरुद्ध आगे कोई अपील न हो।

36. व्याख्या का एक नियम, जिसे **एक्स विसेरिबस एक्टस** कहा जाता है, किसी धारा के भीतर या एक ही क़ानून की दो अलग-अलग धाराओं या प्रावधानों के बीच किसी भी असंगति से बचने में मदद करता है। इसका मूलतः अर्थ यह है कि किसी क़ानून के प्रत्येक भाग की व्याख्या उसके चारों कोनों के भीतर की जानी चाहिए और किसी भी प्रावधान की अलग-अलग व्याख्या नहीं की जानी चाहिए।

37. क्रेज़ ने क़ानूनी कानून पर **एक्स विसेरिबस एक्टस** के नियम की व्याख्या इस प्रकार की है:-

> "...सभी क़ानूनों पर समान रूप से लागू होने वाले निर्माण का एक सामान्य नियम है, जिसे अधिनियम के चारों कोनों के भीतर ***'एक्स विसेरिबस एक्टस'*** निर्माण कहा जाता है। ***लिंकन कॉलेज केस (1595) 3 सी ओ रिपोर्ट 58बी*** में कोक ने कहा, "संसद के किसी अधिनियम के एक अच्छे व्याख्याता का कार्य सभी भागों का एक साथ निर्माण करना है, न कि केवल एक भाग का - निमो एनिम एलिक्वाम पार्टम रेक्टे इंटेलिगेरे पोटेस्ट एंटेक्वाम टोटम इटरम एटक्यू इटरम परलेगेरिट।" और फिर वे कहते हैं: किसी क़ानून के एक भाग की व्याख्या उसी क़ानून के दूसरे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

भाग से करना क़ानून की सबसे स्वाभाविक और वास्तविक व्याख्या है, क्योंकि यह निर्माताओं के अर्थ को सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है... और यह व्याख्या एक्स विसेरिबस एक्टस है।"

38. इसलिए यह आवश्यक परिणाम होगा कि धारा 35 की उपधारा (2) के तहत अपील में उप-मंडल अधिकारी द्वारा पारित आदेश, जिसके खिलाफ कोई और अपील नहीं है, धारा 210 के तहत आयुक्त की पुनरीक्षण शक्तियों के अधीन होगा।

39. उपर्युक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, राज्य प्रतिवादियों और प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से, संहिता की धारा 35 की उप-धारा (2) के तहत अपील में उप-मंडल अधिकारी द्वारा पारित आदेश के खिलाफ वैधानिक उपाय की उपलब्धता के संबंध में उठाई गई आपत्ति पुष्ट होती है।

40. वैकल्पिक वैधानिक उपाय के अस्तित्व के कारण रिट याचिका पर विचार नहीं किया जाता है।

41. याचिका का **निस्तारण** किया जाता है और याचिकाकर्ता को उपलब्ध वैधानिक वैकल्पिक उपाय अपनाने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है।

आदेश दिनांक: - 5.8.2024

[माननीय न्यायमूर्ति डॉ. वाई के श्रीवास्तव]

Translated Judgment. Not for Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।